[श्री कंवरलाल गुप्त]

18.18 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आखिर में मैं एक बात कहूंगा। बहुत सी चीजें गृहमंत्री महोदय के पास हैं। गृहमंत्री को पता भी है कि कहां से पैसा आता है। कई जगह छानबीन कर के यह निश्चित भी हो गया है कि यह पैसा बाहर से आता है। लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसी अच्छी मशीनरी नहीं बनाई जिस से इस काम के ऊपर निगाह रखी जा सके। छोटा सा एक सेल उसने बनाया लेकिन उस सेल से इतना बड़ा काम होने वाला नहीं है। मैं मांग करूंगा कि इसके लिए एक अच्छा सेल बनाया जाना चाहिए जो स्टेट्स के अन्दर भी और यहां भी। जहां-जहां भी यह कार्यवाही हो रही है उसको देख सके, क्योंकि यह जाल बिछाया जा रहा है बड़ी तेजी से और इसको रोकना बहुत जरूरी है। जो इसके कल्प्रिट्स हों उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसके अन्दर कोई पालिटिकल कंसिडरेशन नहीं आना चाहिए, चाहे वह किसी पार्टी का हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए क्यों कि देश की सेक्योरिटी, देश के डिफेंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमारे अन्दर आपस में मतभेद हो सकता है, प्रजातंत्र में हम अलग अलग राय रख सकते हैं लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है। देश की सेक्योरिटी पर अलग कोई बात आती है तो उसके लिए हम 100 और 5 मिल कर 105 हैं, और हम सब मिल कर उसका मुकाबिला करें।

इन शब्दों के साथ गृह मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उनकी भावनाओं की कदर करते हुए सदन से मैं यह चाहूंगा क वह मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना विधेयक वापस लूं और मैं आशा करता हूं कि इसमें गृह मंत्री देर नहीं लगाएंगे और इसे कोल्ड स्टोरेज में वह नहीं डालेंगे।

The Bill was by leave withdrawn.

18.20 hrs.

FREE LEGAL AID BILL*

श्री मधु लिमये (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपराधिक अभियोगों में फंसे निर्धन और आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for free legal aid to poor and needy persons involved in criminal cases."

The Motion was adopted.

श्री मधु लिमये: मैं विधेयक को पेश करता हूं।

18.21 hrs.

DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL*

Amendment of section 3,22, etc.

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966."

The Motion was adopted.

श्री श्रीचन्द गोयल: मैं विधेयक को पेश करता हूं।

18.22 hrs.

CONSTITUTITON (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of Articles 85 and 174*)

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

---

* Published in Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 2, dated 13-3-70.